न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.एस.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2022 उनवान प्रधान गुर्जर बनाम नोसर वगै.

प्रधान गुर्जर पुत्र श्री देवकरण गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मोठी, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

---प्रार्थी

बनाम

1. नोसर पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम माण्डियावर्ड कला, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. पुखराज पुत्र देवकरण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम माण्डियावर्ड कला, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. घनश्याम खटीक पुत्र अमरचन्द खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. महावीर प्रसाद खटीक पुत्र अमरचन्द खटीक, जाति खटीक, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. सुमेर सिंह बम्बेरवाल पुत्र अमराव खटीक, जाति खटीक निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. अहमदनूर पुत्र भूरे खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
7. नजीर खां पुत्र चांद खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
8. बद्री पुत्र चांद खां, जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
9. बन्नालाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
10. भागचन्द पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
11. रामकुवांर पुत्र भंवरलाल जाति जाट 9निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अजमेर राज0

10. भागचन्द पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम ढस... तह... अरांई जिला अजमेर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:13 IST
Reason: SelfAttested

12. मेवा पुत्र भूरे खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
13. यासिन पुत्र भूरे खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
14. शहाबुद्दीन पुत्र रंगलाल जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
15. सुगरा पत्नि भूरे खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
16. सुगरी पत्नि रंगलाल जाति मुसलमाान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान
17. श्रीमान तहसीलदार महोदय, अरांई जिला अजमेर राजस्थान

—— अप्रार्थीगण

• निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 •

निर्णय दिनांक 18.08.2023

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द ने अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द ने जाहिर किया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि खसरा संख्या 1278/257 क्षेत्रफल 0.2184 हैक्टेयर (किस्म वाणिज्यक) एवं खसरा संख्या 1279/257 रकबा 0.2670 हैक्टेयर (किस्म बारानी–2) कुल किता 02 का कुल रकबा 0.4854 हैक्टेयर वाके ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है, प्रार्थी की उक्त भूमि से किसी अन्य का कोई संबंध सरोकार नहीं है। **खसरा संख्या 1278/257 एवं 1279/257** की चारों सीमाओं पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 257, 258, 253, 254 स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 के मध्य लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं से छे[illegible] रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद [illegible] है। इस कारण [illegible] द्वारा माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

10. भागचन्द पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराइ जिला अजमेर राज0

न्यायालय के समक्ष सद्भाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी का श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी की ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर स्थित खातेदारी कृषि आराजी **खसरा संख्या 1278/257 एवं 1279/257** सीमाओं का राजस्व रिकार्ड अनुसार भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित कर प्रार्थी को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 46/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। दिनांक 05.08.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तलबी के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 09,10,11 की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या 05 उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 25.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 01,02,03 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र जैन उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। अप्रार्थीगणों के अधिवक्तागण के लगातार अनुपस्थित रहने से दिनांक 11.08.2023 को अप्रार्थीगणों का जवाब बन्द किया गया। तथा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि खसरा संख्या 1278/257 क्षेत्रफल 0.2184 हैक्टेयर (किस्म वाणिज्यक) एवं खसरा संख्या 1279/257 रकबा 0.2670 हैक्टेयर (किस्म बारानी–2) कुल किता 02 का कुल रकबा 0.4854 हैक्टेयर वाके ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है, प्रार्थी की उक्त भूमि से किसी अन्य का कोई संबंध सरोकार नहीं है। **खसरा संख्या 1278/257 एवं 1279/257** की चारों सीमाओं पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 257, 258, 253, 254 स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं [illegible] करते रहते है, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 के मध्य [illegible]डा होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 आये दिन प्रार्थी की भूमि की [illegible] से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। इस कारण प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सद्भाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमान से निवेदन हे कि प्रार्थी की ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक, भू.अ.नि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर स्थित खातेदारी कृषि आराजी **खसरा संख्या 1278/257 एवं 1279/257** सीमाओं का राजस्व रिकार्ड अनुसार भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित कर प्रार्थी को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

3. हमारे द्वारा प्रार्थी की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई में स्थित भूमि खसरा संख्या 1278/257 रकबा 0.2184 किस्म वाणिज्यक तथा खसरा संख्या 1279/257 किस्म बारानी02 एवं बारानी03 पर पत्थरगढी हेतु निवेदन किया है, लेकिन राजस्व न्यायालय को केवल कृषि भूमि पर ही पत्थरगढी के आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार है जबकि वकील प्रार्थी द्वारा किस्म वाणिज्यक भूमि का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम ग्राम ढसूक के खसरा संख्या 1278/257 रकबा 0.2184 किस्म वाणिज्यक तक में खारिज किया जाकर शेष प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित कृषि आराजी **खसरा संख्या 1279/257 रकबा 0.2670 हैक्टेयर** के सीमाओं का राजस्व रिकार्ड अनुसार पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार अरांई को दिये जातें है एवं तहसीलं अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/–रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित कृषि आराजी **खसरा संख्या 1279/257 रकबा 0.2670 हैक्टेयर** भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान् की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:13 IST
Reason: SelfAttested